

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—434 / 2012

संस्थित दिनांक—30.05.2012

फाई.क.234503002352012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// विरुद्ध //

1—रमेश पिता हरीशचंद मरकाम उम्र—35 वर्ष, जाति गोंड,
साकिन—ग्राम खुर्सीपार, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—सुकुरु पिता जत्ता उर्फ जगता मरावी उम्र—80 वर्ष, जाति गोंड,
साकिन—ग्राम खुर्सीपार, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—गंगाराम पिता पंचू मरकाम उम्र—35 वर्ष, जाति गोंड,
साकिन—ग्राम खुर्सीपार, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

// निर्णय //

(आज दिनांक—04 / 07 / 2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा—429 / 34 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—22.03.2012 को शाम 04:00 बजे से दिनांक—24.03.2012 के सुबह 06:00 बजे के मध्य थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम दमोह मेन रोड खुर्सीपार में फरियादी बुधारी धुर्वे को नुकसान कारित करने के आशय से सह आरोपीगण के साथ मिलकर उसके बैल (सांड) कीमती करीबन 15,000 /—(पंद्रह हजार रुपये) की मृत्यु कारित कर रिष्टी कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी बुधारी द्वारा थाना बिरसा में रिपोर्ट लेख कराई कि उसने अपने घर का एक बैल (सांड) बस्ती के नाम

छोड़ा था, जो जवान हो गया था। उसके द्वारा छोड़े गए सांड के सींग खड़े, रंग सफेद था, जिसकी कीमत 15,000/-रुपये की थी। दिनांक-22.03.2012 को शाम 4:00 बजे उसे बैल (सांड) दिखा, फिर उसके बाद दिनांक-24.03.2012 को सुबह 6:00 बजे उसका बैल (सांड) खुर्सीपार लालटेकरी रोड में मृत पड़ा दिखा, जिसकी एक आंख फूटी दिखी। उसके द्वारा गांव में पता करने पर गांव के घासीराम गोंड ने उसे बताया कि बैल (सांड) को रमेश गोंड, सकरू गोंड, गंगाराम गोंड ने मारकर रोड किनारे फेंक दिए हैं। गांव के अन्य लोगों ने भी आकर देखा था। आरोपीगण ने मिलकर उसके बैल (सांड) को मारकर 15,000/-रुपये का नुकसान कर दिया था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना बिरसा में जाकर की। जिस पर पुलिस थाना बिरसा द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-57/2012, भारतीय दंड संहिता की धारा-429/34 कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण के विरुद्ध धारा-429/34 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उनके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— **प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-**

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-24.03.2012 के सुबह 06:00 बजे के मध्य थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम दमोह मेन रोड खुर्सीपार में फरियादी बुधारी धुर्वे को नुकसान कारित करने के आशय से सह आरोपीगण के साथ मिलकर उसके बैल (सांड) कीमती करीबन 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) की मृत्यु कारित कर रिष्टी कारित किया ?

: : विचारणीय बिन्दु का निराकरण : :

5— बुधारी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है, जो उनके गांव के लड़के हैं। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। उसके स्वामित्व का एक बैल (सांड) जिसकी कीमती लगभग 15,000/-रुपये की थी,

जिसे उसने गांव में सांड के कार्य के लिए गांव वालों के कहने पर छोड़ दिया था। उसे गांव के घासीराम ने आकर बताया था कि आरोपीगण ने उसके बैल (सांड) को मारकर रोड के किनारे फेंक दिए हैं, जिसे उसने जाकर देखा था और पुलिस थाना बिरसा में जाकर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख कराई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस द्वारा उससे पूछताछ कर मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त घटना में आरोपीगण की गलती थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने किसी व्यक्ति को सांड को मारते हुए या पीटते हुए नहीं देखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि सांड के मरने के बाद उसका शव परीक्षण नहीं हुआ था। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसने केवल घासीराम के बताए जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध कारित किये जाने का तथ्य पेश किया है।

6— साक्षी घासीराम (अ.सा.2) अभियोजन का महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसके बताए जाने पर फरियादी बुधारी (अ.सा.1) के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में रिपोर्ट लेख कराई गई थी। घासीराम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी को दोनों को जानता है, जो उसके ही गांव के हैं। घटना करीब दो वर्ष पूर्व की है। वह अपने खेत में काम कर रहा था तो पास की रोड पर एक सांड (बैल) मरा हुआ पड़ा था। उसे जानकारी नहीं है कि उक्त सांड को किसने मारा था, उसने मारते हुए किसी को नहीं देखा था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण ने सांड को मारकर रोड के किनारे फेंक दिया था और इस बारे में उसने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 में भी जानकारी दी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मृत सांड को बुधारी ने बस्ती के समाज के लोगों को दान में दिया था। उक्त सांड किस प्रकार मरा उसने नहीं देखा। इस प्रकार इस साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

7— नोहरसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी दोनों को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। उसने रोड पर सांड को मरा हुआ देखा था। आरोपी रमेश ने रस्सी में फंसाकर सांड को मारे थे। उसे घासीराम ने सांड को किसने मारा है वाली बात नहीं बताया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे घासीराम ने सांड

के मारे जाने के संबंध में नहीं बताया था और न ही उसने पुलिस कथन में रमेश द्वारा कथित सांड को मारने वाली बात बताई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मृत सांड उनके गांव-समाज का था तथा बुधारी का नहीं था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

8— दलपत सिंह (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना आज से लगभग दो वर्ष पूर्व की है। वह थाना बिरसा के सहायक उपनिरीक्षक सिंगरोरे साहब के साथ ग्राम खुर्सीपार गया था तो ग्राम खुर्सीपार के रोड के किनारे सार्वजनिक सांड मरा पड़ा हुआ था। उसके समक्ष आरोपी रमेश, सुकरू, गंगाराम ने कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं दिये थे। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 लगायत 6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी रमेश से एक बैलगाड़ी जप्त की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी सुकरू से पुलिस ने क्या जप्त की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9 से लगायत 11 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने आरोपीगण से मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 के अनुसार पूछताछ किया जाना एवं आरोपीगण से बैलगाड़ी, दो बैल व जामुन की लकड़ी, रस्सी जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 तैयार किया जाना स्वीकार किया है।

9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने उक्त सभी दस्तावेजों पर थाने पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण ने सांड को मारने वाली बात नहीं बताई थी, यदि मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4, 5, 6 में उक्त बात लिखी हो तो वह गलत है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपीगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अनुसंधान कार्यवाही एवं आरोपित अपराध के महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में विभागीय साक्षी होते हुए भी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

10— डॉ. आशीष कुमार (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-25.03.2012 को पशु चिकित्सालय बैहर में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा एक बैल जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी, जो सफेद कलर का था, जिसके सींग छोटे थे का शव परीक्षण किया गया था। उक्त

परीक्षण में उसने पाया था कि मृत बैल के गले के चारों तरफ एक नीले कलर की लाईन बनी हुई दिख रही थी, बैल की जीभ बाहर थी। बैल के बाएं तरफ खरोंच के निशान थे और फेफड़े नीले रंग के हो गए थे। साक्षी के मतानुसार बैल की मृत्यु दम घुटने से हुई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मृत बैल की दम घुटने के कारण मृत्यु कारित होने की पुष्टि की है।

11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी आर.एस. सिंगरोरे (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-24.03.2012 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता बुधारी की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-57/12, धारा-429 भा.द.वि. के तहत प्रदर्श पी-1 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को बुधारी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही बुधारी, घासीराम, नोहर, सुखदेव के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक-25.03.2012 को आरोपी रमेश को अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष पूछताछ किया था। उसके बताए अनुसार प्रदर्श पी-4 का मेमोरेण्डम कथन तैयार किया था, जिस पर उसके आरोपी रमेश एवं साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-4 में आरोपी रमेश ने बताया था कि उसने आरोपी सुकरू तथा गंगाराम के साथ मिलकर बुधारी के सांड को रस्सी का फंदा लकड़ी के साथ बनाकर सांड को मारना बताया था और जिसे तीनों ने मिलकर बैलगाड़ी में ले जाकर रोड में खेद देना तथा बैलगाड़ी को घर के पीछे छुपा देने का कथन किया था। इसी प्रकार आरोपी सुकरू को अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष पूछताछ की गई थी। पूछताछ पर आरोपी सुकरू ने प्रदर्श पी-5 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिस पर उसके आरोपी सुकरू तथा साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। आरोपी सुकरू ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर बुधारी के सांड को मारना और बैलगाड़ी में ले जाकर रोड में खेदना और गले में बांधी हुई रस्सी को झोपड़ी में छुपाकर रखना बताया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी गंगाराम को अपनी अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष पूछताछ की गई थी। पूछताछ पर आरोपी गंगाराम ने प्रदर्श पी-6 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिस पर उसके आरोपी तथा साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। जिसमें आरोपी गंगाराम ने बताया कि उन तीनों ने मिलकर सांड को मारकर रोड किनारे फेंकने का अपराध स्वीकार किया है।

12— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि मेमोरेण्डम दिनांक को ही आरोपी रमेश की निशानदेही पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-7 अनुसार एक बैलगाड़ी एवं एक जामुन की लकड़ी साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी सुकरू के द्वारा निकाल कर देने पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-8 अनुसार एक रस्सी नायलोन की जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9 से लगायत 11 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण के कृत्य से बुधारी को हुई नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-12 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसमें लगभग 15 हजार की नुकसानी होना पाया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

13— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मृत सांड के वास्तविक स्वामी बुधारी होना संदेहास्पद है। स्वयं बुधारी (अ.सा.1) एवं अन्य साक्षीगण के अनुसार बुधारी ने गांव वालों के कहने पर गांव में सांड के कार्य के लिए छोड़ दिया था। यदि तर्क के लिए फरियादी बुधारी के स्वत्व का सांड मृत होना प्रमाणित मान भी लिया जाए, तब भी किसी भी साक्षी ने फरियादी बुधारी के सांड को कथित रिष्टी कारित किये जाने के संबंध में देखे जाने के कथन नहीं किये हैं। इस प्रकार अभियोजन मामलों में चक्षुदर्शी साक्षी का अभाव रहा है। स्वयं फरियादी बुधारी (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में घासीराम से घटना की जानकारी होना प्रकट किया है, जबकि अभियोजन की ओर से साक्षी घासीराम (अ.सा.2) ने कथित घटना स्वयं न देखे जाने के कथन कर अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन मामलों में सभी साक्षीगण में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, बल्कि सभी साक्षीगण ने घटना के अनुश्रुत साक्षी के रूप में कथन किये हैं। मामलों में आरोपित अपराध के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है। इस प्रकार मात्र समर्थनकारी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सकता है।

14— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फरियादी बुधारी को नुकसान कारित करने के आशय से सह आरोपीगण के साथ मिलकर उसके बैल (सांड)

कीमती करीबन 15,000/—(पंद्रह हजार रुपये) की मृत्यु कारित कर रिष्टी कारित किया। अतः आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा-429 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

15— आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत व मुचलका भारमुक्त किए जाते हैं।

16— मामले में आरोपी सुकरू दिनांक-21.05.2015 से दिनांक-04.07.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। शेष आरोपीगण अभिरक्षा में नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

17— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बैलगाड़ी, एक बैल जोड़ी सुपुर्ददार रमेश मरकाम पिता हरचंद मरकाम साकिन-ग्राम खुर्सीपार, थाना बिरसा, तहसील बिरसा जिला बालाघाट के सुपुर्दनामे पर प्रदान किये गए हैं जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे तथा जप्तशुदा जामुन की लकड़ी एवं रस्सी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्ट की जावें अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट